P-1 R.M.M. Law College Saharsa.
Manvendra Mandal
parttime Lecturer
Subject- contract-1
Part-1

शून्य एवं शून्यकरणीय संविदा में अन्तर

शून्यकरणीय संविदायें, जब तक अपास्त नहीं कर दी जातीं, तब तक अपना पूर्ण विधिक प्रभाव रखती हैं, जबकि शून्य संविदायें अपनी अकृतता के कारण आरम्भ से ही कोई प्रभाव नहीं रखतीं।

शून्य एवं शून्यकरणीय संविदा में अन्तर को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है।

शून्य संविदा	शून्यकरणीय संविदा
1. जब कोई संविदा विधि द्वारा प्रवर्तित होने से निवारित हो जाती है तो वह शून्य हो जाती है।	1. शून्यकरणीय संविदा पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर प्रवर्तनीय होती है।
2. ऐसी संविदा जब तक वैध बनी रहती है जब तक कि वह प्रवर्तित होने से निवारित नहीं हो जाती।	2. शून्यकरणीय संविदा तब तक वैध बनी रहती है जब तक पीड़ित पक्षकार इसे शून्य घोषित नहीं कर देता।
3. यह पक्षकार की इच्छा से वैध अथवा शून्य नहीं होती है।	3. यह पक्षकारों की इच्छा से वैध या शून्य हो सकती है।
4. शून्य संविदाओं को विधि भी वैध नहीं मान सकती है।	4. शून्यकरणीय संविदाओं की मान्यता पक्षकारों की इच्छा पर निर्भर करती है।
5. कोई संविदा शून्य हो जाती है यदि उसका पालन असंभव हो जाये।	5. शून्यकरणीय संविदायें केवल विनिर्दिष्ट दशाओं में ही अप्रवर्तनीय हो सकती है। जैसे - उत्पीड़न, असम्यक, असर, कपट, मिथ्या व्यपदेशन आदि
6. इसमें पक्षकारों को क्षतिपूर्ति का अधिकार नहीं मिलता।	6. इसमें कतिपय दशाओं में क्षतिपूर्ति का अधिकार होता है।

धुरन्धर प्रसाद सिंह बनाम जय प्रकाश युनिवर्सिटी के मामले में शून्य एवं शून्यकरणीय संविदा के अन्तर को स्पष्ट किया गया है। इस मामले में यह कहा गया है कि शून्य संविदायें आरम्भत: शून्य (void-ab-initio) होती हैं, उन्हें शून्य घोषित करने की आवश्यकता नहीं होती है और इन पर किसी प्रकार का नोटिस नहीं लिया जाता है। जबकि शून्यकरणीय संविदायें तब तक वैध मानी जाती हैं जब तक कि उन्हें शून्य घोषित नहीं कर दिया जाता है।

Scanned with CamScanner